न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1201/2024

अनवान : –

1. चन्दो देवी पत्नी धर्मपाल जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम

1. कृन्ता पत्नी जुगल किशोर जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर।
2. कालु सिंह पुत्र मुन्शी सिंह जाति राजपूत साकिन भूकरका तहसील नोहर।
3. प्रर्वत सिंह पुत्र मुन्शी सिंह जाति राजपूत साकिन भूकरका तहसील नोहर।
4. भंवरसिंह पुत्र मुन्शी सिंह जाति राजपूत साकिन भूकरका तहसील नोहर।
5. लालसिंह पुत्र आशु सिंह जाति राजपूत साकिन भूकरका तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः** 27/08/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 501 के ख0न0 762 की 1.6690 हैक्ट, ख0न0 862 की 1.6950 हैक्ट कुल 3640 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है वाद भूमि का बाहमी बंटवारा किया हुआ है एवं मुताबिक बंटवारा ख0न0 862 की 1.1760 हैक्ट भूमि पर वादी, ख0न0 762/3 की 0.322 हैक्ट व ख0न0 862 की 0.519 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 तथा ख0न0 762/1 की 0.841 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 एवं ख0न0 762/2 की 0.5060 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 काबिज है। वादी इसी अनुसार खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 501 के ख0न0 762 की 1.6690 हैक्ट, ख0न0 862 की 1.6950 हैक्ट कुल 3640 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:24:46 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को सम्मन नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। साक्ष्य वादी में

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर पर जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070—73 के खाता स0 501 की कुल 3.3640 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1. चन्दो देवी पत्नी धर्मपाल जाति जाट सा0 देह खातेदार— ख0न0 862/1 की 1.176 हैक्ट बारानी प्रथम
2. कुन्ता पत्नी जुगल किशोर जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा भूकरका —ख0न0 862/2 की 0.519 हैक्ट, 762/3 की 0.322 हैक्ट कुल 0.841 हैक्ट बारानी प्रथम
3. किस्तुरी देवी पत्नी रामेश्वर लाल जाति जाट सा0 देह खातेदार— ख0न0 762/2 की 1.039 हैक्ट बारानी प्रथम
4. कालुसिंह पुत्र मुन्शीसिंह 0.027 हैक्ट, प्रर्वतसिंह पुत्र मुन्शीसिंह 0.281 हैक्ट जाति राजपुत सा0 देह खातेदार ख0न0 762/1 की 0.308 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना—अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 27/08/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:24:46 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1201 / 2024

अनवान : –

1. चन्दो देवी पत्नी धर्मपाल जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम

1. कृन्ता पत्नी जुगल किशोर जाति जाट साकिन भूकरका तहसील नोहर।
2. कालु सिंह पुत्र मुन्शी सिंह जाति राजपूत साकिन भूकरका तहसील नोहर।
3. प्रर्वत सिंह पुत्र मुन्शी सिंह जाति राजपूत साकिन भूकरका तहसील नोहर।
4. भंवरसिंह पुत्र मुन्शी सिंह जाति राजपूत साकिन भूकरका तहसील नोहर।
5. लालसिंह पुत्र आशु सिंह जाति राजपूत साकिन भूकरका तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1201 सन 2024 निर्णय दिनांक 27/08/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी व पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 501 की कुल 3.3640 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 चन्दो देवी पत्नी धर्मपाल जाति जाट सा0 देह खातेदार– ख0न0 862 / 1 की 1.176 हैक्ट बारानी प्रथम

2 कुन्ता पत्नी जुगल किशोर जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा भूकरका –ख0न0 862 / 2 की 0.519 हैक्ट, 762 / 3 की 0.322 हैक्ट कुल 0.841 हैक्ट बारानी प्रथम

3 किस्तुरी देवी पत्नी रामेश्वर लाल जाति जाट सा0 देह खातेदार– ख0न0 762 / 2 की 1.039 हैक्ट बारानी प्रथम

4 कालुसिंह पुत्र मुन्शीसिंह 0.027 हैक्ट, प्रर्वतसिंह पुत्र मुन्शीसिंह 0.281 हैक्ट जाति राजपुत सा0 देह खातेदार ख0न0 762 / 1 की 0.308 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 27/08/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:24:46 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर